

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठारीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
02.09.2021

मिसल नम्बर
13 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

तारीख दायरा
04.02.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन एफ.वी.ओ. मैसर्स नवीन मिष्ठान भण्डार डिग्गी
वालो का कटला पुरानी तहसील के पास मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 23 इन्द्रा
कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

उपस्थित- जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 02.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.12.2020 को समय 1.01 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नवीन मिष्ठान भण्डार डिग्गी वालो का कटला पुरानी तहसील के पास मालपुरा जिला टोंकपर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से पवन कुमार जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन एफ.वी.ओ. मैसर्स नवीन मिष्ठान भण्डार डिग्गी वालो का कटला पुरानी तहसील के पास मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 23 इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे मावा (Khoya) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री पवन कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता पवन कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तरदीक किया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट



आवेदक द्वारा दुकान में 22 किलोग्राम मावा (Khoya) रखे हुये में से 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक तोलने की मशीन से साफ व सूखी अलग से स्टील की ट्रे में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता. श्री पवन कुमार जैन को ₹0 220/- अक्षरों दौ सौ बीस रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा (Khoya) 1 किलोग्राम को 250-250 ग्राम अलग-अलग बाट मापक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशीयो में बराबर-बराबर बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 20-20 बूंदे प्रत्येक शीशी में डालकर अच्छी तरह हिला-गिलाकर शिशीयो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2730 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2730 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रता. पवन कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।


आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/91 दिनांक 09.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2420/एक्ट/2020/2295 दिनांक 23.12.2020 अनुसार पवन कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मावा (Khoya) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार अवमानक (Sub-standard) व बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous-Matter) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standard) व बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous-Matter) स्तर का मावा (Khoya) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक



1272


जिला मांजिस्ट्रेट
जयपुर

